न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 84 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. चीमाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना 2. हीराराम पुत्र भींया के का. मुकाम 2/1कुम्भाराम पुत्र हीराराम 2/2गंगादेवी पत्नी हीराराम 2/3हड़मानाराम पुत्र हीराराम जातियान जाट निवासियान मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. गोकीया पुत्र सवाराम जाति राजपुरोहित(निर्णय से पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके कायम मुकाम को पक्षकार बनाया जा रहा है) 1/1आसुसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह जाति राजपुरोहित 1/2हड़मतसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह 1/3चैनसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह 1/4जबरसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह 1/5पुखराजसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह 2. भैरूसिंह गोदपुत्र भीमा 3. गवरीदेवी बेवा भीमा 4. शांतिदेवी पुत्री भीमा 5. मोहन पुत्री भीमा जाति राजपुरोहित 6. सांवलसिंह पुत्र लच्छाजी 6/1चन्दनसिंह पुत्र सांवलसिंह 6/2चम्पादेवी पत्नी सांवलसिंह 7. भंवरलाल पुत्र पदमाजी 8. डतमाराम पुत्र पदमाजी 9. नरपतराम पुत्र पदमाजी 10. पारसराम पुत्र पदमाजी 11. डूंगाराम पुत्र पदमाजी 12. पहाड़सिंह पुत्र पदमाजी 13. महेन्द्रसिंह पुत्र पदमाजी 14. पानीदेवी पत्नी पदमाजी जातियान राजपुरोहित निवासियान सिरियादेवी नगर, कुण्डल तहसील सिवाना 15. पूंजा पुत्र बादरजी 16. नारणा पुत्र बादरजी 17. मूलसिंह पुत्र हरिराम 18. भोपसिंह पुत्र हरिराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	19. भंवरसिंह उर्फ उमराराम पुत्र हरिराम 20. श्रीमती धापू बेवा हरिराम फौत 21. श्रीमती सुआदेवी बेवा गिरधारी जातियान राजपुरोहित निवासीयान मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर फौत 22. श्रीमती लीला पुत्री गिरधारी पत्नी मूलजी जाति राजपुरोहित निवासी महिलावास तहसील सिवाना 23. श्रीमती सखी पुत्री गिरधारी पत्नी जसराज जाति राजपुरोहित निवासी रायथल तहसील आहोर जिला जालोर 24. फुआ पुत्र पन्ना जाति राजपुरोहित(नोट निर्णय से पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके कायम मुकाम को पक्षकार बनाया जा रहा है) 24/1जबराराम पुत्र फुआ 24/2श्रीमती सायरो पत्नी फुआ जाति राजपुरोहित 25. नेना पुत्र पन्ना जाति राजपुरोहित निवासी सिरियादेवी नगर, कुण्डल तहसील सिवाना 26. दुर्गा पुत्र जामता जाति राजपुरोहित निवासी सिरियादेवी नगर, कुण्डल तहसील सिवाना 27. जोईता पुत्र जामता जाति राजपुरोहित निवासी सिरियादेवी नगर, कुण्डल तहसील सिवाना 28. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./92/2021/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. फुआ पुत्र पन्ना जाति राजपुरोहित निवासी सरीयादेवी नगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर के कायम मुकाम 1/1जबराराम पुत्र फुआराम 1/2श्रीमती सायरोदेवी पत्नी फुआराम जाति राजपुरोहित 2. नेनाराम पुत्र पन्नाराम	1. गोकीया पुत्र सवाराम जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम को पक्षकार बनाया जा रहा है) 1/1आसुसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह 1/2हड़मतसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह 1/3चैनसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

3. श्रीमती राणीदेवी पत्नी श्री टीकमाराम सभी जातियान राजपुरोहित निवासीयान सिरियादेवी नगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर(राजस्थान)	1/4जबरसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह 1/5पुखराजसिंह पुत्र गोकिया उर्फ गोकसिंह 2. भैरूसिंह गोदपुत्र भीमाजी 3. गवरीदेवी बेवा भीमाजी 4. शांतिदेवी पुत्री भीमाजी 5. मोहन पुत्री भीमाजी 6. सांवलसिंह पुत्र लच्छाजी 6/1चन्दनसिंह पुत्र सांवलसिंह 7. भंवरलाल पुत्र पदमाजी 8. डतमाराम पुत्र पदमाजी 9. नरपतराम पुत्र पदमाजी 10. पारसराम पुत्र पदमाजी 11. डुंगाराम पुत्र पदमाजी 12. पहाड़सिंह पुत्र पदमाजी 13. महेन्द्रसिंह पुत्र पदमाजी 14. पोनीदेवी पत्नी पदमाजी जातियान राजपुरोहित निवासियान सिरियादेवी नगर, कुण्डल तहसील सिवाना 15. पूंजा पुत्र बादरजी 16. नारायणा पुत्र बादरजी 17. मूलसिंह पुत्र हरीराम 18. भोपसिंह पुत्र हरीराम 19. भंवरसिंह उर्फ उमराराम पुत्र हरीराम 20. श्रीमती धापू बेवा हीरराम 21. श्रीमती सुआदेवी बेवा गिरधारीजी जातियान राजपुरोहित निवासीयान मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 22. श्रीमती सुबटी पुत्री गिरधारीजी पत्नी छोगाजी जाति राजपुरोहित निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 23. श्रीमती लीला पुत्री गिरधारी पत्नी मूलजी जाति राजपुरोहित निवासी महिलावास तहसील सिवाना 24. श्रीमती सखी पुत्री गिरधारी पत्नी जसराज जाति राजपुरोहित निवासी रायथल तहसील आहोर जिला जालोर 25. सीमाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी खरंटिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	26. हीराराम पुत्र भियाराम जाति जाट निवासी सरली तहसील गुड़ामालानी के कायम मुकाम 26/1कुम्भाराम पुत्र हीराराम 26/2गंगादेवी पत्नी हीराराम 26/3हडमानाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासीगण मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 27. दुर्गा पुत्र जामताराम का.मु. 27/1अणसी पत्नी दुर्गाराम 27/2उतमसिंह पुत्र दुर्गाराम 27/3बलवन्तसिंह पुत्र दुर्गाराम 27/4पारससिंह पुत्र दुर्गाराम जातियान राजपुरोहित निवासी सरियादेवी नगर कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 27/5सेणीदेवी पत्नी दुर्गाराम पत्नी चंदनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धीरा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 27/6लीलादेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी राणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 27/7सरियादेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी रतनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बावतरा तहसील सायला जिला बाड़मेर 27/8सौरमदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी नरपतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 28. जोहिताराम पुत्र जामताराम जाति राजपुरोहित निवासी सरीयादेवी नगर, कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 29. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक, तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 165/2009 बअनवान गोकीया बनाम प्रतिवादीगण पूंजा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलांट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री नरपतसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।

3. वकील श्री कैलाशपुरी गोस्वामी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—04.11.2022

उपरोक्त दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध समान तथ्यों को लेकर पेश की गई जिनका निर्णय एक साथ किया जाकर निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जा रही है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के हक स्वामित्व व कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1209 रकबा 131.05 बीघा सरहद मौजा चौधरीयो की ढाणी गांव दाखां, एवं खेत खसरा संख्या 08 रकबा 34.14 बीघा सरहद मौजा उन्डेलनगर, मिठौड़ा, एवं खेत खसरा नम्बर 519 रकबा 36.07 बीघा सरहद मौजा सरीयादेवी नगर, कुण्डल, एवं खेत खसरा नम्बर 1110/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौड़ा, एवं खसरा संख्या 1109/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौड़ा उक्त भूमि जो कि, वादीगण के दादा स्व. श्री सिमरथाजी के कब्जा काश्त व खातेदारी की थी। खसरा संख्या 504 रकबा 09.02 बीघा व खसरा नम्बर 521 रकबा 07.12 बीघा व खसरा संख्या 522 रकबा 10.07 बीघा कुल रकबा 27.01 बीघा सरहद मौजा सरीयादेवी नगर, कुण्डल, जिसमें 3/4 हिस्सा सिमरथाजी का व 1/4 हिस्सा अचलाजी का था। उक्त सम्पूर्ण भूमि वादीगण के दादा/परदादा सिमरथाजी के कब्जा, खातेदारी, हक स्वामित्व की थी, तथा सिमरथाजी के देहान्त के बाद उक्त भूमि में सिमरथाजी के तीनों पुत्रो चिमना, लच्छा, सवा का नाम दर्ज न होकर अकेले चिमना का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया, जो गलत हुआ इस आशय की खातेदारी घोषणा का दावा वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावलियां दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावलियां पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में बताया कि जब सेटलमेंट से 20 वर्ष पूर्व सिमरथाजी का देहान्त हो चुका था, तथा वक्त सेटलमेंट व उससे पूर्व से अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के पिता पन्नाजी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 504, 521 व 522 पर काबिज काश्तकार थे। जिसकी ताईद उपरोक्तानुसार संवत 2009 के राजस्व रेकर्ड से हो रही है। तथा उक्त इन्द्राज वक्त सेटलमेंट से लगातार, लगातार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2021 के बाद तक निरन्तर रूप से राजस्व रेकर्ड में रहा है व उक्त भूमि की लगान भी अपीलांट के पिता/दादा व अपीलांट 01 व 02 ने अदा की है, तथा इसके विपरित रेस्पोडेंट का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त होने का लेस मात्र राजस्व रेकर्ड व सबूत नहीं है। फिर भी अदालत मातहत ने उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य पर कोई गौर न कर, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकारों के विरूद्ध पारित की गई प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का जबाव दिनांक 14.06.2011 को आदेशिका के जरिये रेकर्ड पर लिया जा चुका था। अर्थात जबाव में उठाये उजरात अनुसार विवादक कायम किया जाना कानूनी था, किन्तु कोई विवादक आदेशिका दिनांक 02.07.2021 के अनुसार कायम नहीं किये गये, तथा बिना विवादक कायम किये, उक्त एकतरफा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर, अदालत मातहत ने कानूनी भारी भूल की है। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 जो वादग्रस्त आराजी के खरीददार है, को वादीगण के द्वारा तर्क किया जाना बताया गया है, जबकि उक्त विक्रय विलेख सक्षम सिविल न्यायाल से किसी प्रकार से रद्द नही करवाया गया किन्तु अदालत मातहत ने बिना क्षेत्राधिकारिता रखते उक्त विक्रय विलेखों को अपने मनमाने तौर पर निरस्त करना मानते हुए, अपीलांट के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.04.2018 पर कोई पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तथा आदेशिका में वादीगण की साक्ष्य लेना बताया गया है, व शेष गवाह पेश करना नहीं बताते हुए, साक्ष्य बंद करना बताया है तथा प्रकरण वास्ते बहस को रखा जाना बताया है, उसके 03 वर्ष 03 माह तक कोई पेशी नहीं होना बताया है, तथा 03 वर्ष 03 माह बाद दिनांक 02.07.2021 को कायम तनकीयात हेतु रखा जाना बताया। जब इतनी सुदीर्घ अवधि तक सुनवाई को स्थगित रखा जाता है तो प्रमरण में सुनवाई दिनांक 19.07.2021 को करना बताया गया है, तो इस पेशी के बाबत पक्षकारान को सूचना देना कानूनी रूप से नितान्त आवश्यक था। यानि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि, सामने वाले को सुनवाई का अवसर दो, उक्त विधिक सिद्धांत की अदालत मातहत ने कोई पालना नहीं की व दिनांक 19.07.2021 को अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर वादीगण के साक्षीगण के बयान कलमवद्ध कर दी गई व उसके बाद भी बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध जाकर पारित की गई। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि निर्णय या डिक्री जीवित व्यवित के विरूद्ध की जा सकती है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में निर्णय व डिक्री मृत व्यवित के विरूद्ध जारी की गई, विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध या पक्ष में पारित डिक्री आरम्भ से शून्य प्रभावत की होती है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का सही तरीके से परिशीलन नहीं कर राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर अवैध व अनुचित तरीके से संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांत की अवहेलना कर मनमाने तरीके से उक्त आदेश पारित किया गया। वर्तमान प्रकरण एक युक्तिसंगत प्रकरण हैं, जिसमें श्री अपील न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं, यदि ऐसे युक्तिसंगत मामले में श्री अपील न्यायालय के द्वारा विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता हैं, तो अपीलांट के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे, परिणाम स्वरूप अपीलांट अपने हक, हिस्से की भूमि से वंचित रह जायेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादीगण के हक स्वामित्व व कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1209 रकबा 131.05 बीघा सरहद मौजा चौधरीयो की ढाणी गांव दाखां, एवं खेत खसरा संख्या 08 रकबा 34.14 बीघा सरहद मौजा उन्डेलनगर, मिठौड़ा, एवं खेत खसरा नम्बर 519 रकबा 36.07 बीघा सरहद मौजा सरीयादेवी नगर, कुण्डल, एवं खेत खसरा नम्बर 1110/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौड़ा, एवं खसरा संख्या 1109/412 रकबा 38.13 बीघा सरहद मौजा मिठौड़ा उक्त भूमि जो कि, वादीगण के दादा स्व. श्री सिमरथाजी के कब्जा काश्त व खातेदारी की थी। खसरा संख्या 504 रकबा 09.02 बीघा व खसरा नम्बर 521 रकबा 07.12 बीघा व खसरा संख्या 522 रकबा 10.07 बीघा कुल रकबा 27.01 बीघा सरहद मौजा सरीयादेवी नगर, कुण्डल, जिसमें 3/4 हिस्सा सिमरथाजी का व 1/4 हिस्सा अचलाजी का था। उक्त सम्पूर्ण भूमि वादीगण के दादा/परदादा सिमरथाजी के कब्जा, खातेदारी, हक स्वामित्व की थी, तथा सिमरथाजी के देहान्त के बाद उक्त भूमि में सिमरथाजी के तीनों पुत्रो चिमना, लच्छा, सवा का नाम दर्ज न होकर अकेले चिमना का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया इसलिए वादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हस्तगत वाद सन 2009 में पेश किया गया जिसमें विस्तृत सुनवाई के बाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण/रेस्पोडेंटस के पक्ष में डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा उतरदाता/वादीगण को नाहक तंग व परेशान करने एवं वादीगण को मिले खातेदारी अधिकार से वंचित करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट चीमाराम वगै. को प्रथम बार जानकारी दिनांक 19.10.2021 को हल्का पटवारी द्वारा ऐसे तथ्यों की सूचना देने पर हुई, जिस पर दिनांक 20.10.2021 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायाल की पत्रावली मय निर्णय डिक्री की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जो प्राप्त होने पर (अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.08.2021 को प्रथम बार हल्का पटवारी कुण्डल द्वारा दी गई तब अपीलांट ने डिक्री की नकले अधीनस्थ न्यायालय से मांगी जो दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुई) तब अपीलांटस को जानकारी हुई कि अपीलांट को बिना सूचना, बिना सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय व डिक्री पारित कर उनके खातेदारी के हक समाप्त कर दिये गये है, इस कारण जानकारी दिनांक 19.10.2021 एवं 08.11.2021 से अपीले अन्दर म्याद है, फिर भी धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र कालाविध कण्डोन करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपीले पेश करने हेतु जानबुझकर कोई देरी नहीं की गई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होन के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी विंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावलियां पर की गई बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक के विरूद्ध पारित की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में मूल वाद एवं जबाव दावे के आधार पर न तो तनकीयात कायम की गई तथा न ही तनकीवार साक्ष्य ली गई तथा न ही अपीलाधीन निर्णय तनकीवार पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत एवं विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2021 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपीले पेश की गई। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.11.2021 को एक आवेदन धारा 152 सी पी सी का पेश किया गया जिसमें अपीलांटगण को कोई सूचना/नोटिस दिये बिना दिनांक 02.11.2021 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लिखी गई आदेशिका दिनांक 02.08.2021 में प्रार्थना–पत्र 152 सी पी सी पेश करने की दिनांक 02.08.2021 बताई गई जबकि प्राथना–पत्र धारा 152 सी पी सी में दिनांक 02.11.2021 लिखी हुई है जो संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त मूल डिक्री में रही कानूनी कमियों को स्वीकार किया गया। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद में वादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा बंटवाड़े की इस्तदुआ मूल वाद के पैरा संख्या 08(द) में चाही गई, उसके बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा जारी निर्णय व डिक्री में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत डिक्री जारी की गई जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्पष्ट अंकित किया गया कि "वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। तहसीलदार सिवाना वादीगण के नाम रेकर्ड में अमलदरामद किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय को भिजावे।" इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायायल द्वारा विभाजन प्रस्ताव नहीं मंगवाया गया तथा पत्रावली का अंतिम निस्तारण आदेशिका में अंकित दिनांक 02.08.2021 को किया गया। इस तथ्य से साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आनन–फानन में जल्दबाजी में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन अध्ययन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपीले रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाज अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 165/2009 बअनवान गोकीया बनाम प्रतिवादीगण पूंजा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2021 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2021 दोनों को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे। हस्तगत वाद में मूल दावे एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। हस्तगत प्रकरण वर्ष 2009 से लम्बित है जो काफी पुराना हो गया है इसलिए विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करने का प्रयास करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.01.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर